महत्वपूर्ण पाठ

सामान्य लोगों के लिए

लेखक:

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़

अल्लाह उनपर दया करे!

महत्वपूर्ण पाठ

सामान्य लोगों के लिए

लेखक: शैख

अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़

अल्लाह उनपर कृपा करे!

महत्वपूर्ण पाठ

सामान्य लोगों के लिए

लेखक:

 शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़

अल्लाह उनपर कृपा करे!



# प्रस्तावना

अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ), जो बड़ा दयालु एवं दयावान है।

सारी प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, जो सारे संसारों का पालनहार है एवं अच्छा परिणाम अल्लाह से डरने वालों का होगा, एवं दुरूद (प्रशंसा) व सलाम (शांति) हो हमारे नबी मुह़म्मद एवं आपकी समस्त आल (परिवार आदि) एवं साथियों पर।

तत्पश्चात!

ये कुछ शब्द हैं, जिनके द्वारा मैंने इस्लाम से संबंधित कुछ उन विषयों का विवरण किया है, जिनका ज्ञान होना सामान्य लोगों के लिए आवश्यक है। मैंने इनका नाम रखा हैः

**सामान्य लोगों के लिए महत्वपूर्ण पाठ**

अल्लाह से दुआ करता हूँ कि यह किताब मुसलमानों के हित में हो तथा अल्लाह तआला मेरे इस प्रयास को क़बूल करे। वह निःसंदेह बड़ा दानशील है।

अबदुल अज़ीज़ बिन अबदुल्लाह बिन बाज़

# **सामान्य लोगों के लिए महत्वपूर्ण पाठ**

## ***पहला पाठ*** *:*

सूरत फातिहा एवं छोटी सूरतें

सूरत फातिहा तथा सूरत ज़लज़ला से सूरत नास तक छोटी-छोटी जितनी सूरतें संभव हों, उनको शुद्ध रूप से पढ़ना सिखाना, स्मरण करवाना एवं जिनको समझना आवश्यक है, उनकी व्याख्या करना।

## ***दूसरा पाठ :***

इस्लाम के स्तंभ

इस्लाम के पाँचों स्तंभों का विवरण देना, जिनमें प्रथम एवं महानतम स्तंभ है इस बात का साक्ष्य देना कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य माबूद (पूज्य) नहीं तथा मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं, इस कलिम-ए-तौहीद (एकेश्वरवाद-वाचक शब्द समूह) की व्याख्या करना एवं उसकी शर्तों को समझाना। इस कलिमा का अर्थ है : अल्लाह के सिवा सारे माबूदों को अस्वीकार करना एवं इबादत (उपासना) केवल अल्लाह के लिए सिद्ध करना, जिसका कोई सहभागी नहीं है।

'ला इलाहा इल्लल्लाह' की शर्तें इस प्रकार हैं :

1. ऐसा ज्ञान जो अज्ञानता के विपरीत हो।
2. ऐसा यक़ीन (विश्वास) जो संदेह के विपरीत हो।
3. ऐसी निष्ठा (इख़लास) जो शिर्क (बहुदेववाद) के विपरीत हो।
4. ऐसी सच्चाई जो झूठ के विपरीत हो।
5. ऐसा प्रेम जो घृणा के विपरीत हो।
6. ऐसी आज्ञाकारिता जो अवज्ञा के विपरीत हो।
7. ऐसी स्वीकृत जो रद्द करने के विपरीत हो।
8. अल्लाह के सिवा सारे पूज्यों को अस्वीकार करना।

इन शर्तों को आने वाले दो छंदों में एकत्र कर दिया गया है :

ज्ञान, निश्चितता, निष्ठा (इख़लास) तथा तुम्हारी सच्चाई, प्रेम एवं अनुपालन के साथ और उसे स्वीकार करना। आठवीं शर्त यह है कि तुम अल्लाह के सिवा उन समस्त चीज़ों को नकार दो जिनको पूज्य मान लिया गया है।

साथ ही इस बात की गवाही देने को भी बयान करना है कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जिसका तकाज़ा यह है कि उनकी बताई हुई बातों को सच्चा माना जाए, उनके आदेशों का पालन किया जाए, उन्होंने जिन बातों से रोका है, उनसे रुक जाया जाए एवं अल्लाह की इबादत, उसके तथा उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की बताई हुई पद्धति के अनुसार की जाए। इसके पश्चात छात्र को इस्लाम के शेष पांचों स्तंभों के बारे में बताया जाए, जो इस प्रकार हैं : नमाज़, ज़कात, रोज़ा तथा अल्लाह के पवित्र घर काबा का हज्ज करना, उसके लिए जो वहाँ तक पहुँचने का सफर-ख़र्च बर्दाश्त कर सकता हो।

## ***तीसरा पाठ :***

ईमान के स्तंभ

ईमान के स्तंभ छह हैं :

1. अल्लाह पर ईमान लाना।
2. उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाना।
3. उसकी किताबों पर ईमान लाना।
4. उसके रसूलों (संदेशवाहकों) पर ईमान लाना।
5. आख़िरत (परलोक) के दिन पर ईमान लाना।
6. अच्छे तथा बुरे भाग्य पर ईमान रखना कि वे अल्लाह की ओर से हैं।

## ***चौथा पाठ :***

तौहीद और शिर्क के प्रकार

तौहीद के भेदों का विवरण देना और उसके तीन प्रकार हैं : तौहीदे रुबूबिय्यत, तौहीदे उलूहिय्यत तथा तौहीदे अस्मा व सिफात।

**तौहीदे रुबूबिय्यत** का अर्थ है इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह ही हर वस्तु का सृष्टा और हर चीज़ का नियंत्रण करने वाला है, इन बातों में कोई उसका साझीदार नहीं।

**तौहीदे उलूहिय्यत** का मतलब है इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और इस मामले में उसका कोई साझी नहीं है। यही 'ला इलाहा इल्लल्लाह' का अर्थ है। अतएव नमाज़, रोज़ा आदि सारी इबादतों को केवल अल्लाह के लिए खास करना है, किसी दूसरे के लिए उनमें से कुछ भी करना जायज नहीं।

**तैहीदे अस्मा व सिफ़ात** का अर्थ है अल्लाह के उन सभी नामों तथा गुणों पर ईमान लाना, जो क़ुरआन एवं सही हदीसों में उल्लिखित हैं तथा उन्हें अल्लाह के लिए उपयुक्त ढंग से साबित करना, इस तरह कि उनमें न कोई विकृति हो, न इनकार, न उनकी कोई कैफ़ियत (दशा) बयान की जाए एवं न ही उदाहरण दिया जाए, अल्लाह के इस आदेश के अनुसारः

"(ऐ रसूल!) आप कह दीजिए : वह अल्लाह एक है। अल्लाह बेनियाज़ है। न उसकी कोई संतान है और न वह किसी की संतान है। और न कोई उसका समकक्ष है।" ]अल-इख़्लास़ः1-4[

तथा अल्लाह के इस फरमान के अनुसार भी :

"उसके जैसी कोई चीज़ नहीं और वह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है।" [अश्-शूराः 11]

कुछ इस्लामी विद्वानों ने तौहीद की दो क़िस्में बताई हैं और तौहीदे अस्मा व सिफ़ात को तौहीदे रुबूबिय्यत के अंतर्गत माना है। इसमें कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि दोनों वर्गीकरणों से असल उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है।

**शिर्क के तीन प्रकार हैं** : शिर्के अकबर (बड़ा शिर्क), शिर्के असग़र (छोटा शिर्क) तथा शिर्के ख़फ़ी (गुप्त शिर्क)।

**शिर्के अकबर** : मनुष्य के समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है एवं ऐसा करने वाला सदैव जहन्नम मे रहेगा। अल्लाह तआला ने फरमाया :

“और यदि ये लोग शिर्क करते, तो निश्चय उनसे वह सब नष्ट हो जाता जो वे किया करते थे।” [अल-अनआमः 88]

अल्लाह तआला ने दूसरी जगह फरमाया :

“मुश्रिकों (बहुदेववादियों) के लिए योग्य नहीं कि वे अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें, जबकि वे स्वयं अपने विरुद्ध कुफ़्र की गवाही देने वाले हैं। ये वही हैं जिनके कर्म व्यर्थ हो गए और वे आग ही में सदा के लिए रहने वाले हैं।” [अत्-तौबाः 17]

और अगर इसी हालत में उसका निधन हो जाए तो उसे क्षमादान नहीं मिलेगा तथा जन्नत उसके लिए हराम होगी जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

“निःसंदेह, अल्लाह यह क्षमा नहीं करेगा कि उसका साझी बनाया जाए और इसके सिवा जिसे चाहेगा, क्षमा कर देगा।” [अन्-निसाः 48]

अल्लाह तआला ने एक और स्थान पर फरमाया :

“निःसंदेह सच्चाई यह है कि जो भी अल्लाह के साथ साझी बनाए, तो निश्चय उसपर अल्लाह ने जन्नत हराम (वर्जित) कर दी और उसका ठिकाना आग (जहन्नम) है। तथा अत्याचारियों के लिए कोई मदद करने वाले नहीं।” [अल्-माइदा : 72]

मरे हुए लोगों तथा मूर्तियों को पुकारना, उनसे सहायता माँगना, उनके लिए मन्नत मानना एवं बलि चढ़ाना आदि शिर्के अकबर के अंतर्गत आते हैं।

**शिर्के असग़र** : हर वह कर्म है जिसको किताब व सुन्नत में शिर्क कहा गया हो, पर वह शिर्के अकबर में से न हो, जैसे रियाकारी यानी दिखावा, अल्लाह के सिवा किसी वस्तु की क़सम खाना एवं 'जो अल्लाह चाहे एवं अमुक व्यक्ति चाहे' आदि कहना, क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फरमाया है :

“मुझे तुम्हारे बारे में जिस बात का डर सबसे अधिक है, वह शिर्के असग़र है।” आपसे शिर्के असग़र के संबंध में पूछा गया तो आपने फरमाया : “रियाकारी (दिखावा)।” इमाम अहमद, तबरानी तथा बैहक़ी ने महमूद बिन लबीद अनसारी -रज़ियल्लाहु अन्हु- से 'जैयिद सनद' (वर्णनकर्ताओं के विश्वसनीय क्रम) के साथ इस हदीस का वर्णन किया है, तथा तबरानी ने इसे कई 'जैयिद सनदों' से 'महमूद बिन लबीद के हवाले से, वह राफ़े बिन ख़दीज से और राफ़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम' से इसका वर्णन किया है।

आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का एक फरमान यह भी है :

“जिसने अल्लाह को छोड़कर किसी और वस्तु की क़सम खाई, तो निश्चय उसने शिर्क किया।”

इमाम अहमद ने सही सनद के साथ इस हदीस का वर्णन उमर -रज़ियल्लाहु अन्हु- से किया है, जबकि अबू दाऊद तथा तिरमिज़ी ने इब्ने उमर - रज़ियल्लाहु अन्हुमा - से सही सनद के साथ रिवायत (वर्णन) किया है कि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फरमाया :

“जिसने अल्लाह के सिवा किसी और वस्तु की क़सम खाई, उसने कुफ़्र किया अथवा शिर्क किया।”

आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का एक फ़रमान यह भी है :

“जो अल्लाह चाहे एवं अमुक चाहे' ना कहो, बल्कि 'जो अल्लाह चाहे फिर अमुक चाहे' कहो।” इसे अबू दाऊद ने ह़ुज़ैफ़ा बिन यमान -रज़ियल्लाहु अन्हु - से सही सनद के साथ रिवायत किया है।

परंतु इस शिर्क से कोई मुर्तद्द (धर्म छोड़ने वाला) नहीं होता एवं न ही कोई इसके कारण सदैव जहन्नम में रहेगा, पर यह तौहीद की संपूर्णता के विपरीत है, जिसका अनुपालन ज़रूरी है।

तीसरे प्रकार अर्थात् शिर्के ख़फ़ी (गुप्त शिर्क) का प्रमाण अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का यह कथन है :

 “क्या मैं तुम्हें वह बात न बता दूँ जिसका मुझे तुम्हारे बारे में दज्जाल से भी अधिकतर भय है? सहाबा - रज़ियल्लाहु अन्हुम - ने कहा : अवश्य, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने कहा : शिर्के ख़फ़ी, जैसे आदमी दिखावे के लिए अच्छे ढंग से नमाज़ पढ़े।

इसको इमाम अहमद ने अपनी मुसनद में अबू सईद ख़ुदरी -रज़ियल्लाहु अन्हु - से रिवायत किया है।

**शिर्क को केवल दो भागों में भी विभाजित किया जा सकता है:**

अकबर (बड़ा) एवं असग़र (छोटा)

रही बात शिर्के ख़फ़ी (गुप्त शिर्क) की, तो यह दोनों को शामिल है।

अकबर (बड़े शिर्क) में ख़फ़ी का उदाहरण है मुनाफ़िकों का शिर्क; क्योंकि वे अपनी ग़लत आस्था को छिपाते हैं एवं अपनी जान बचाने हेतु इस्लाम का दिखावा करते हैं।

असग़र (छोटे शिर्क) में ख़फ़ी का उदाहरण रियाकारी एवं दिखावा है, जिसका विवरण उपर्युक्त हदीसों में गुज़र चुका है।

## ***पाँचवाँ पाठ :***

एहसान

एहसान भी इस्लाम का एक स्तंभ है जिसका सारांश यह है कि आप अल्लाह की उपासना इस प्रकार करें कि मानो आप उसको देख रहे हैं, यदि यह कल्पना न उत्पन्न हो सके कि आप उसको देख रहे हैं तो (यह स्मरण रखें कि ) वह आपको अवश्य देख रहा हैl

## ***छठा पाठ :***

नमाज़ की शर्तें

नमाज़ की नौ शर्तें हैं :

1-इस्लाम।

2- बुद्धि।

3- मसझबूझ की आयु।

4- हदस (नापाकी) को दूर करना।

5- नजासत (गंदगी) को साफ़ करना।

6- गुप्तांगों को ढंकना।

7- समय का प्रवेश करना।

1. क़िबला की तरफ मुँह करना।
2. नीयत करना।

## ***सातवाँ पाठ :***

नमाज़ के अरकान (स्तंभ)

नमाज़ के अरकान (स्तंभ) चौदह हैं :

1-सक्षम होने पर खड़ा होना।

2- तकबीरे तहरीमा (नमाज की प्रथम तकबीर),

3- सूरत फ़ातिहा पढ़ना।

4- रुकू करना।

5- रुकू के पश्चात सीधे खड़ा होना।

6-सात अंगों पर सजदा करना।

7- सजदे से उठना।

8- दोनों सजदों के बीच बैठना।

9- उपर्युक्त समस्त कर्मों में शांति एवं ठहराव।

10- अरकान की अदायगी में क्रम।

11- आख़िरी तशह्हुद।

12- तथा उसके लिए बैठना।

13- नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर दुरूद भेजना।

14- दोनों तरफ़ सलाम फेरना।

***आठवाँ पाठ :***

नमाज़ के वाजिबात

नमाज़ के वाजिबात (आवश्यक चीज़ें) आठ हैं :

1. तकबीरे तहरीमा के सिवा सारी तकबीरें।
2. इमाम तथा अकेले नमाज़ पढ़ने वाले का سمع الله لمن حمده कहना
3. सब का ربنا ولك الحمد कहना।
4. रुकू में سبحان ربي العظيم कहना।
5. सजदे में سبحان ربي الأعلى कहना।
6. दोनों सजदों के दरमियान رب اغفر لي कहना।
7. प्रथम तशह्हुद।
8. प्रथम तशह्हुद के लिए बैठना।

## ***नौवाँ पाठ :***

तशह्हुद का विवरण

तशह्हुद निम्नलिखित है :

"التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله."

“हर प्रकार का सम्मान, समग्र दुआ़एँ एवं समस्त अच्छे कर्म व अच्छे कथन अल्लाह के लिए हैं। ऐ नबी! आपके ऊपर सलाम, अल्लाह की दया तथा उसकी बरकतों की वर्षा हो, हमारे ऊपर एवं अल्लाह के भले बंदों के ऊपर भी शांति की जलधारा बरसे। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य माबूद (पूज्य) नहीं एवं मुहम्मद अल्लाह के बंदे तथा उसके रसूल हैं।”

फिर अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर दुरूद भेजे और उनके लिए बरकत की दुआ़ करते हुए कहे :

"اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد."

“ऐ अल्लाह! मुहम्मद एवं उनके परिवार पर उसी प्रकार अपनी रहमत भेज, जिस प्रकार तूने इबराहीम एवं उनके परिवार पर अपनी रहमत भेजी थी। निःसंदेह, तू प्रशंसापात्र तथा सम्मानित है। एवं मुहम्मद तथा उनके परिवार पर उसी प्रकार से बरकतों की बारिश कर जिस प्रकार तूने इबराहीम एवं उनके वंशज पर की थी। निःसंदेह, तू प्रशंसापात्र तथा सम्मानित है।”

फिर आख़िरी तशह्हुद में जहन्नम की यातना, क़ब्र के अज़ाब, जीवन एवं मौत की आज़माइश एवं दज्जाल के फ़ितने से अल्लाह की शरण माँगे। फिर जो दुआ चाहे पढ़े, विशेष रूप से कुरआन एवं हदीस से प्रमाणित दुआएँ। जैसे :

"اللهم أَعِني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم."

“ऐ अल्लाह! मुझे क्षमता दे कि मैं तेरा ज़िक्र करूँ, तेरा शुक्र करूँ एवं अच्छे ढंग से तेरी उपासना करूँ। ऐ अल्लाह! मैंने अपनी आत्मा पर बड़ा अत्याचार किया है एवं तेरे सिवा कोई पापों को क्षमा करने का अधिकार नहीं रखता, इसलिए तू मुझे अपनी क्षमा की छाया प्रदान कर एवं मुझपर कृपा कर। निःसंदेह, तू क्षमा करने वाला तथा अति दयालु है।”

ज़ुहर, अस्र, मग़रिब तथा इशा में प्रथम तशह्हुद में 'शहादतैन' के पश्चात तीसरी रकअ़त के लिए खड़ा हो जाएगा। परंतु यदि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर दुरूद भेजता है, तो यह अफ़ज़ल (उत्तम) है, क्योंकि इस संबंध में वर्णित हदीसें सर्वसामान्य हैं। फिर तीसरी रकअ़त के लिए खड़ा हो।

## ***दसवाँ पाठ :***

नमाज़ की सुन्नतें

कुछ सुन्नतें इस प्रकार हैंः

1. इस्तिफ़्ताह़ (शुरूआती दुआ पढ़ना)।
2. रुकू से पहले और रुकू के बाद खड़े होने की अवस्था में दायीं हथेली को बायीं पर सीने के ऊपर रखना।
3. प्रथम तकबीर, रुकू में जाते समय, रकू से उठते समय और प्रथम तशह्हुद से तीसरी रकअ़त के लिए खड़ा होते समय, दोनों हाथों को कंधों के अथवा कानों के बराबर इस तरह बुलंद करना कि उँगलियाँ मिली तथा फैली रहें।
4. रुकू एवं सजदे में एक से अधिक बार तसबीह पढ़ना।
5. रुकू से उठने के बाद ربنا ولك الحمد से अधिक जो कहा जाए एवं दोनों सजदों के दरमियान एक बार اللهم اغفرلي से अधिक जो कहा जाए।
6. रुकू करते समय सिर एवं पीठ को समानांतर रखना।
7. सजदा करते समय बांहों को पहलुओं से तथा पेट को जांघों से एवं जांघों को टांगों से अलग रखना।
8. सजदा करते समय, बाज़ुओं को ज़मीन से अलग रखना।
9. प्रथम तशह्हुद तथा दोनों सजदों के दरमियान, बाएँ पैर को बिछाकर उसपर बैठना एवं दाएँ पैर को खड़ा रखना।
10. चार रकअ़त एवं तीन रकअ़त वाली नमाज़ों में अंतिम तशह्हुद में तवर्रुक (एक विशेष बैठक) करना, अर्थात अपने नितंब पर बैठना, बाएँ पैर को दाएँ पैर के नीचे रखना एवं दाएँ पैर को खड़ा रखना।
11. प्रथम एवं दूसरे तशह्हुद में, बैठने के समय से अंत तक तर्जनी से इशारा करना एवं दुआ़ करते समय उसे हिलाते रहना।
12. प्रथम तशह्हुद में अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) एवं इबराहीम -अ़लैहिस सलातु वस्सलाम- तथा उनके वंशज पर दुरूद भेजना एवं उनके लिए बरकत की दुआ़ करना।
13. अंतिम तशह्हुद में दुआ़ करना।
14. फ़ज्र, जुमा, दोनों ईदों, इस्तिस्क़ा (वर्षा मांगने के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज़) एवं मग़रिब तथा इशा की पहली दो रकअ़तों में जहरी (बुलंद आवाज़ से) क़ुरआन पढ़ना।
15. ज़ुहर, अस्र, मग़रिब की तीसरी रकअ़त एवं इशा की आख़िर की दोनों रकअ़तों में सिर्री (एकदम धीमी आवाज़ से) क़ुरआन पढ़ना।
16. फ़ातिहा के अतिरिक्त कुछ आयतें पढ़ना। इनके अलावा भी कुछ सुन्नतें हैं, जैसे वे दुआ़एँ जो इमाम, मुक़तदी (इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने वाला) एवं अकेला व्यक्ति रुकू से उठने के बाद ربنا ولك الحمد के अलावा पढ़ते हैं, एवं रकू करते समय हाथों को घुटनों पर इस तरह रखना कि उँगलियाँ खुली रहें। इन सभी सुन्नतों का ख़्याल रखा जाना चाहिए।

## ***ग्यारहवाँ पाठ :***

नमाज़ को अमान्य करने वाली चीज़ें

नमाज़ को आमान्य करने वाली चीज़ें आठ हैं :

1. याद रहते हुए जानबूझकर बात करना, परंतु यदि कोई अज्ञानतावश या भूल कर बात कर ले, तो उसकी नमाज़ अमान्य नहीं होगी।
2. हँसना।
3. खाना।
4. पीना।
5. गुप्तांग का खुल जाना।
6. क़िबले की दिशा से बहुत ज़्यादा हट जाना।
7. नमाज़ में लगातार बेकार की हरकतें करना।
8. वुज़ू का टूटना।

## ***बारहवाँ पाठ :***

वुज़ू की शर्तें

वुज़ू की शर्तें दस हैं :

1. इसलाम।
2. अक़्ल।
3. होश संभालने की आयु।
4. नीयत।
5. वुज़ू सम्पूर्ण होने तक नीयत के हुक्म को बाक़ी रखना।
6. वुज़ू को वाजिब करने वाले कारण का समाप्त हो जाना।
7. वुज़ू से पहले (शौच के पश्चात) जल अथवा पत्थर आदि का उपयोग करना।
8. जल का पवित्र एवं जायज होना।
9. जो वस्तु जल को चमड़े तक पहुँचने से रोके, उसे दूर करना।
10. जिसका ह़दस अर्थात नापाकी का स्राव लगातार हो, उसके लिए नमाज़ के समय का प्रवेश करना।

## ***तेरहवाँ पाठ :***

वुज़ू के आवश्यक कर्म

वुज़ू के आवश्यक कर्म छह हैं :

1. चेहरे को धोना। कुल्ला करना तथा नाक में पानी डालना इसी के अंतर्गत आते हैं।
2. कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना।
3. पूरे सिर का मसह करना, दोनों कान उसी के अंतर्गत आते हैं।
4. टखनों समेत पैरों को धोना।
5. वुज़ू के कार्य क्रमानुसार करना।
6. वुज़ू के कार्य लगातार करना।

चेहरे, दोनों हाथों और दोनों पैरों को तीन-तीन बार धोना सुन्नत है और एक बार फ़र्ज़। परंतु सिर का मसह सही हदीसों के अनुसार एक ही बार सुन्नत है।

## ***चौदहवाँ पाठ :***

वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें

वुज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें छह हैं :

1. पेशाब एवं पाखाने के रास्ते निकलने वाली वस्तु।
2. शरीर से अधिक मात्रा में निकलने वाली नजासत (गंदगी)।
3. नींद आदि के कारण होश में ना रहना।
4. बिना किसी आड़ के अपने आगे या पीछे वाले गुप्तांग को छूना।
5. ऊँट का मांस खाना।
6. इसलाम को त्याग देना। अल्लाह तआ़ला हमें एवं सारे मुसलमानों को इससे बचाए।

**महत्वपूर्ण चेतावनी :** सही बात यह है कि मरे हुए व्यक्ति को स्नान देने से वुज़ू नहीं टूटता, क्योंकि इस बात की कोई दलील नहीं है। यही अधिकतर आलिमों की राय है। पर यदि मृतक के गुप्तांग पर बिना किसी आड़ के हाथ पड़ जाए तो वुज़ू टूट जाएगा और नमाज़ पढ़ने के लिए नया वुज़ू करना अनिवार्य होगा।

मृतक को स्नान देने वाले के लिए आवश्यक है कि वह बिना आड़ के उसके गुप्तांग को स्पर्श न करे। इसी प्रकार, विद्वानों के दो मतों में से अधिक सही मत के अनुसार, औरत को स्पर्श करने से भी वुज़ू नहीं टूटेगा, चाहे वासना के साथ स्पर्श करे अथवा बिना वासना के, जबतक (स्पर्श करने वाले के गुप्तांग से) कुछ न निकले, क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बारे में आया है कि आपने अपनी किसी पत्नी का चुंबन लिया और वुज़ू किए बिना नमाज़ पढ़ ली।

रही बात सूरत अन-निसा एवं सूरत अल-माइदा की दो आयतों की, जिनमें है किः

“या तुमने स्त्रियों से सहवास किया हो।” [सूरतुन्-निसा : 43, सूरतुल-मायदा : 6]

तो इन दोनों स्थानों में आशय संभोग है, यही उलमा के दो दृष्टिकोणों में अधिक सही दृष्टिकोण है और यही इब्ने अ़ब्बास -रज़ियल्लाहु अन्हुमा- तथा सलफ़ अर्थात पहले के विद्वानों एवं ख़लफ़ (बाद में आने वाले विद्वानों) के एक समूह का मत है।

अल्लाह तआ़ला ही सुयोग एवं सामर्थ्य देने वाला है।

## ***पंद्रहवाँ पाठ :***

प्रत्येक मुसलमान का नैतिकता से शोभित होना

जैसे सच्चाई, ईमानदारी, पाकबाज़ी, लज्जा, वीरता, दानशीलता, वफ़ादारी, हर उस काम से दूर रहना जिसे अल्लाह ने हराम घोषित किया है और अच्छा पड़ोसी बनना, सामर्थ्य के अनुसार अभावग्रस्तों की सहायता करना आदि शिष्ट व्यवहार जो क़ुरआन एवं हदीसों से प्रमाणित हैं।

## ***सोलहवाँ पाठ :***

इसलामी शिष्टाचार धारण करना

कुछ इसलामी शिष्टाचार इस प्रकार हैं :

सलाम करना, हँसमुख होना, दाएँ हाथ से खाना-पीना, 'बिस्मिल्लाह' कहकर खाना आरंभ करना एवं अंत में 'अल-हम्दु लिल्लाह' कहना, छींक आने के बाद 'अल-हम्दु लिल्लाह' कहना, छींकने वाले को जवाब देना, बीमार को देखने के लिए जाना, जनाज़े की नमाज़ एवं दफ़नाने के लिए जाना, मस्जिद अथवा घर में प्रवेश करने एवं निकलने के धार्मिक आदाब, यात्रा के आदाब, माता-पिता, संबंधियों, पड़ोसियों, छोटों तथा बड़ों के संग अच्छा व्यवहार करना, बच्चे के जन्म पर बधाई देना, शादी के समय बरकत की दुआ़ देना, मुसीबत (आपदा) के समय दिलासा देना एवं कपड़ा तथा जूता पहनने-उतारने के इस्लामी आदाब आदि।

## ***सत्रहवाँ पाठ :***

शिर्क एवं अन्य गुनाहों से सावधान करना

उन्हीं में से सात घातक पाप इस प्रकार हैं : शिर्क करना, जादूगरी, बिना हक़ के हत्या करना, सूद लेना, अनाथ का माल हड़पना, रणभूमि से फ़रार होना एवं मोमिन पाकदामन महिलाओं पर झूठा लांछन लगाना।

इसी प्रकार से माता-पिता की अवज्ञा करना, रिश्तों और नातों को तोड़ना, झूठी गवाही देना, झूठी क़सम खाना, पड़ोसी को कष्ट देना, लोगों की जान, माल एवं उनके सम्मान पर आक्रमण करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, जुआ खेलना, गीबत एवं चुगली करना आदि, जिनसे अल्लाह तआ़ला एवं उसके रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने रोका है।

## ***अठारहवाँ पाठ :***

मृतक के कफ़न दफ़न का सामान तैयार करना, उसका जनाज़ा पढ़ना और उसे दफ़नाना

इसका विवरण निम्नलिखित है :

**प्रथम : मर रहे व्यक्ति को ला-इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के लिए प्रेरित करना**

मर रहे व्यक्ति को لا إله إلا الله पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए; क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने फरमाया है :

“तुम अपने मृतकों को لا إله إلا الله पढ़ने के लिए प्रेरित करो।”

इस ह़दीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सह़ीह़ (मुस्लिम शरीफ़) में रिवायत किया है।

इस हदीस में मृतकों से मुराद ऐसे लोग हैं, जिनपर मौत के निशान ज़ाहिर हो चुके हों।

**दूसरी बात :**

जब उसकी मृत्यु का विश्वास हो जाए तब उसकी आंखें बंद कर दी जाएँ और जबड़े बाँध दिए जाएँ।

क्योंकि हदीस में इस का प्रमाण मौजूद है।

**तीसरी बात :**

मुसलमान मुर्दे को नहलाना वाजिब है, सिवाय उस आदमी के जो रणभूमि में शहीद हुआ हो।

उसे न नहलाया जाएगा, न उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी। बल्कि उसे उन्हीं कपड़ों में दफ़न कर दिया जाएगा। क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने उहुद की जंग में शहीद होने वालों को न नहलवाया और न उनकी जनाज़े की नमाज़ पढ़ी।

**चौथी बात : मृतक को स्नान कराने का तरीका**

उसके गुप्तांगों को ढक दिया जाए, फिर उसे थोड़ा ऊपर उठाया जाए एवं उसके पेट को धीरे से दबाया जाए। फिर स्नान देने वाला अपने हाथ पर कोई चीथड़ा आदि लपेट ले एवं उसके गुप्तांगों को साफ़ करे। फिर उसे नमाज़ वाला वुज़ू कराए। फिर उसके सिर एवं उसकी दाढ़ी को जल एवं बेरी के पत्तों आदि से धोए। फिर उसका दायाँ पहलू फिर उसका बायाँ पहलू धोया जाए। फिर उसे इसी तरह दूसरी एवं तीसरी बार स्नान दे। हर बार उसके पेट पर हाथ फेरा जाए। अगर कुछ निकले तो उसे धो डाले एवं गुप्तांग को रुई आदि से बंद कर दे। यदि इससे न रुके, तो शुद्ध नरम मिट्टी से अथवा आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों, जैसे टेप आदि के द्वारा बंदे कर दे।

और उसे दोबारा वुज़ू कराए। यदि तीन बार से साफ़ ना हो, तो पाँच बार अथवा सात बार स्नान दे। फिर उसे कपड़े से सुखा दे। फिर सजदे की जगहों पर तथा उन अंगों पर सुगंध लगाए जिनमें गंदगी जमा होती है। यदि पूरे शरीर पर लगाए तो बेहतर है। फिर उसके कफ़न को (लेबान आदि की) धूनी दे।

यदि उसकी मूँछ अथवा नाखून लंबे हों तो काट दे। न भी काटे तो कोई बात नहीं। उसके बालों को न सँवारे, न उसके गुप्तांग के बालों को साफ़ करे एवं न ही उसका ख़तना करे; क्योंकि इन बातों का कोई प्रमाण नहीं है। महिला के बालों की तीन चोटियाँ बनाकर सिर के पिछली तरफ डाल दी जाएँ।

**पाँचवीं बात : मृतक को कफ़नाना**

बेहतर यह है कि पुरुष को तीन सफेद कपड़ों में कफ़नाया जाए, जिनमें न कमीज हो न पगड़ी। लेकिन अगर कमीज, तहबंद एवं एक लपेटने वाले कपड़े (चादर) में कफ़नाया जाए तो कोई हर्ज नहीं।

महिला को पाँच कपड़ों में कफ़नाया जाएगा : कमीज़, दुपट्टा, तहबंद तथा दो लपेटने वाले कपड़े (चादरें)। बच्चे को एक, दो अथवा तीन कपड़ों में एवं बच्ची को कमीज तथा दो लपेटने वाले कपड़ों (चादरों) में कफ़नाया जाएगा।

वैसे पुरुष, महिला और बच्चे, सबके लए वाजिब केवल एक कपड़ा है, जो समस्त शरीर को छिपा दे। परंतु मृतक यदि एहराम की अवस्था में हो, तो उसे जल एवं बेरी के पत्तों से स्नान दिया जाएगा और उसी तहबंद तथा चादर में अथवा उनके अलावा कपड़ों में कफ़नाया जाएगा। न उसका सिर और चेहरा ढाँका जाएगा और न ही उसे सुगंध लगाई जाएगी; क्योंकि क़ियामत के दिन उसे ‘लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक’ पुकारता हुआ पुनर्जीवित किया जाएगा, जैसा कि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की सहीह हदीस से साबित है। जबकि एहराम की हालत में मरने वाली महिला को साधारण महिलाओं की तरह कफ़नाया जाएगा, मगर उसे सुगंध नहीं लगाई जाएगी एवं निक़ाब द्वारा उसका चेहरा नहीं ढाँका जाएगा एवं उसके हाथों को दस्ताने नहीं पहनाए जाएँगे। मगर उसका चेहरा तथा उसके हाथ कफ़न में लपेटे जाएँगे, जैसा कि इसका विवरण पहले दिया जा चुका है।

**छठी बात : मृतक को स्नान देने, उसके जनाज़े की इमामत करने एवं उसे दफ़न करने का सबसे अधिक हक़दार**

मृतक को स्नान देने, उसके जनाज़े की इमामत करने एवं उसे दफ़न करने का सबसे अधिक हकदार वह व्यक्ति है जिसे मृतक ने वसीयत की हो, फिर पिता, फिर दादा, फिर जो जितना मृतक का निकटवर्ती संबंधी हो। यह हुई पुरुष की बात।

महिला को स्नान देने का सबसे ज्यादा अधिकार उस महिला को प्राप्त है जिसे मृतक ने वसीयत की हो, फिर माता, फिर दादी, फिर जो जितनी निकटवर्ती महिला हो। पति-पत्नी एक-दूसरे को स्नान दे सकते हैं; क्योंकि अबू बक्र -रज़ियल्लाहु अन्हु- को उनकी पत्नी ने नहलाया था एवं अ़ली -रज़ियल्लाहु अन्हु- ने अपनी पत्नी फ़ातिमा -रज़ियल्लाहु अन्हा- को स्नान दिया था।

**सातवीं बात : जनाज़े की नमाज़ का तरीक़ा**

चार तकबीरें कहेगा। प्रथम तकबीर के बाद सूरत फ़ातिहा पढ़ेगा। यदि उसके साथ कोई छोटी सूरत अथवा एक आयत या दो आयतें पढ़ ले तो अच्छी बात है, क्योंकि इस संबंध में इब्ने अ़ब्बास -रज़ियल्लाहु अन्हुमा- की हदीस मौजूद है। फिर दूसरी तकबीर कहे एवं अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) पर दुरूद भेजे, तशह्हुद की तरह, फिर तीसरी तकबीर कहे तथा यह दुआ़ पढ़े :

"اللهم اغفر لِحينا وميتِنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأنثانَا، اللهم من أحيَيتَهُ منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فَتَوَفهُ على الإيمان، اللهَم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرِم نُزُلَه، وَوَسع مُدخَلَه، واغسله بالماء والثلج وِالبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنس، وأبدلهُ دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وعذاب النار، وافسح له في قبره، ونور له فيه، اللهم لا تَحرمنَا أجره ولا تُضِلنا بعده."

“ऐ अल्लाह! हममें से जो जीवित हैं और जिनकी मृत्यु हो गई है, हममें से जो उपस्थित हैं और अनुपस्थित हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े, पुरुष हों या महिलाएँ, उन सबको क्षमा कर दे। ऐ अल्लाह! हममें से जिसे तू जीवित रखे, उसे इस्लाम पर जीवित रख एवं जिसे मृत्यु दे, उसे ईमान पर मृत्यु दे। ऐ अल्लाह! उसे क्षमा कर दे, उस पर दया कर, उसे समस्त आपदाओं से सुरक्षित रख, उसके पापों को मिटा दे, उसका अच्छा स्वागत-सत्कार करना, उसकी क़ब्र को विस्तारित कर दे, उसे जल, बर्फ़ तथा ओले से धुल दे, उसे पापों से उसी प्रकार साफ़ कर दे जिस प्रकार सफ़ेद कपड़े को गंदगी से साफ़ किया जाता है, उसे पृथ्वी से उत्तम घर एवं उत्तम परिवार प्रदान कर, उसे जन्नत में प्रवेश करा तथा उसे क़ब्र की यातना और नरक की यातना से मुक्ति दे, उसकी उसकी क़ब्र को उसके लिये विशाल कर दे और उसमें उसके लिये प्रकाश कर दे। ऐ अल्लाह! हमें उसके स़वाब से वंचित न कर तथा उसके पश्चात हमें पथभ्रष्ट न कर।”

फिर चौथी तकबीर कहे और अपनी दाईं ओर एक सलाम फेर दे।

हर तकबीर के साथ हाथ उठाना मुस्तहब है। यदि जनाज़ा महिला का हो, तो कहा जाएगा : ‘अल्लाहुम्मग़फिर लहा’...इसी प्रकार से अंत तक।

अगर दो जनाज़े हों तो कहा जाएगाः ‘अल्लाहुम्मग़फ़िर लहुमा’... इसी प्रकार से अंत तक।

और अगर जनाज़े दो से अधिक हों तो कहा जाएगा : ‘अल्लाहुम्मग़फ़िर लहुम’...इसी प्रकार से अंत तक।

और अगर बच्चे का जनाज़ा हो तो मग़फ़िरत की दुआ़ के स्थान में यह कहा जाएगा :

"اللهم اجعله فرطا وذُخْرَا لوالديه، وشفيعاَ مُجَابا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وَقِهِ برحمتك عذاب الجحيم."

“ऐ अल्लाह! इसे पहले पहुँचने वाला, इसके माता-पिता के लिए पुण्य का कोश एवं ऐसा सिफ़ारिश करने वाला बना दे, जिसकी सिफ़ारिश सुनी जाए। ऐ अल्लाह! इसके द्वारा उनके पलड़ों को भारी कर दे, उन्हें बड़ा स़वाब प्रदान कर, इस बच्चे को पहले मरे हुए मोमिन सज्जनों से मिला दे, इबराहीम - अ़लैहिस सलातु व स्सलाम - द्वारा इसका प्रतिपालन कर, एवं अपनी दया से इसे जहन्नम की यातना से मुक्ति प्रदान कर।”

सुन्नत यह है कि इमाम पुरुष के सिर के बराबर एवं महिला के बीच में खड़ा हो। यदि जनाज़ा अनेक हों तो पुरुष इमाम के निकट हो एवं महिला क़िबले के निकट हो।

यदि उनके संग बच्चे भी हों तो क्रमानुसार बच्चे को, फिर महिला, फिर बच्ची को रखा जाएगा, एवं बच्चे का सिर पुरुष के सिर के बराबर, महिला का मध्य भाग पुरुष के सिर के बराबर, बच्ची का सिर महिला के सिर के बराबर, एवं बच्ची का मध्य भाग पुरुष के सिर के बराबर होगा। सभी मुक़तदी इमाम के पीछे होंगे। परंतु यदि किसी व्यक्ति को जगह ना मिले, तो वह इमाम की दाईं ओर खड़ा हो सकता है।

**आठवीं बात : मृतक को दफ़न करने का तरीका**

शरीअत के अनुसार, क़ब्र को आधे मनुष्य के बराबर गहरा बनाना चाहिए, जिसमें क़िबले की ओर एक लह़द (बगली क़ब्र) हो, एवं मृतक को लहद के भीतर उसके दाएँ पहलू पर लिटाया जाएगा, कफ़न के बंधनों को खोलकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, पुरुष अथवा महिला दोनों के चेहरे को खुला नहीं रखा जाएगा, फिर लह़द के ऊपर कच्ची ईंट रखकर गारे द्वारा बंद कर दिया जाएगा; ताकि स्थिर हो जाए और अंदर धूल-मिट्टी न पहुंच सके।

यदि ईंट उपलब्ध न हो तो तख़्तियों, या पत्थरों अथवा लकड़ियों द्वारा ढक दिया जाए जो अंदर मिट्टी पहुँचने से बचाए, फिर क़ब्र पर मिट्टी डाली जाएगी और उस समय यह दुआ़ कहना मुस्तहब है :

**باسم الله، وعلى ملة رسول الله**

“अल्लाह के नाम से एवं अल्लाह के रसूल के धर्म पर।”

क़ब्र को एक बित्ता के बराबर ऊँचा किया जाएगा, उसके ऊपर यदि संभव हो तो बजरी डाल दी जाए और जल छिड़क दिया जाए।

जनाज़ा के साथ जाने वालों के लिए क़ब्र के पास खड़े होकर मृतक के लिए दुआ करना धर्मसंगत है; क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) जब मृतक को दफ़न करने से फारिग होते, तो वहाँ खड़े होते और कहते : “तुम लोग अपने भाई के लिए क्षमा याचना करो और उसके लिए सुदृढ़ता की दुआ करो, क्योंकि उससे अब प्रश्न पूछे जाएँगे।”

**नौवीं बात :**

यदि किसी की जनाज़े की नमाज़ छूट गई हो तो वह दफ़न के बाद पढ़ सकता है।

क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ऐसा किया है। परंतु शर्त यह है कि ऐसा एक महीने के अंदर होना चाहिए। यदि इससे अधिक अवधि हो जाए तो क़ब्र पर जनाज़ा की नमाज़ पढ़ना धर्मसंगत नहीं है। क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से साबित नहीं है कि आपने दफ़न के एक महीना बाद किसी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ी हो।

**दसवीं बात :**

मृतक के परिवार के लिए उचित नहीं कि वे लोगों के लिए खाना बनाएँ।

जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली -रज़ियल्लाहु अन्हु- के इस कथन के कारण कि : "हम मृतक को दफ़नाने के बाद उसके घर वालों के यहाँ एकत्र होने और (उनका हमारे लिए) खाना बनाने को मातम समझते थे। (जो इस्लाम में हराम है)।" इमाम अहमद ने इसे हसन सनद के साथ रिवायत किया है।

रही बात मृतक के परिवार तथा उनके अतिथियों के लिए खाना बनाने की, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मृतक के संबंधियों तथा पड़ोसियों के लिए धर्मसंगत है कि वे मृतक के घर वालों के लिए खाना तैयार करें। क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को शाम के देश में जाफ़र बिन अबू तालिब - रज़ियल्लाहु अन्हु - की मृत्यु की ख़बर मिली, तो आपने अपने घर वालों को आदेश दिया कि जाफ़र -रज़ियल्लाहु अ़नहू- के परिवार के लिए खाना बनाएँ, एवं फरमाया : “उनके पास ऐसी दुखद खबर आई है जो उन्हें (खाने बनाने से) व्यस्त रखेगी।”

मृतक के परिवार वालों पर कोई बाधा नहीं कि वे अपने पड़ोसियों आदि को उस खाने पर बुलाएँ जो उन्हें भेजा गया हो, एवं हमारी जानकारी के अनुसार, शरीयत में इस का कोई नियत समय नहीं है।

**ग्यारहवीं बात :**

यदि महिला गर्भवती न हो तो उसके लिए अपने पति के सिवा किसी की मृत्यु का शोक तीन दिन से अधिक मनाना जायज नहीं।

महिला के लिए अपने पति के सिवा तीन दिन से अधिक किसी की मृत्यु का शोक मनाना जायज नहीं एवं अपने पति का चार मास तथा दस दिन तक शोक पालन करना आवश्यक है। परंतु यदि गर्भवती हो तो गर्भ जनने तक, क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) से ऐसा सही हदीसों से प्रमाणित है।

लेकिन पुरुष के लिए किसी भी करीबी या दूरस्थ रिश्तेदार का शोक मनाना सिरे से जायज नहीं है।

**बारहवीं बात :**

शरीयत के अनुसार, पुरुष कुछ समयांतराल पर क़ब्रों की ज़ियारत (दर्शन) के लिए जा सकते हैं ताकि उनके लिए अल्लाह की दया की दुआ़ करें एवं मृत्यु तथा उसके पश्चात की बातों को स्मरण करें।

क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का फ़रमान है : “क़ब्रों की ज़ियारत करो, क्योंकि वे तुम्हें परलोक की याद दिलाएंगी।” इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह (मुस्लिम शरीफ़) में इसे नकल किया है।

अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) अपने साथियों को क़ब्रों की ज़ियारत के समय यह दुआ़ पढ़ना सिखाते थे :

"السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين."

“ऐ मोमिन व मुसलमान क़ब्र वासियों! तुमपर शांति की जलधारा बरसे एवं यदि अल्लाह चाहे तो हम तुमसे भेंट करने वाले हैं। हम अपने तथा तुम्हारे लिए सुरक्षा की दुआ़ करते हैं। अल्लाह तआ़ला हम में से आगे जाने वालों एवं पीछे आने वालों, सब पर दया करे!”

जहाँ तक महिलाओं की बात है, तो उनके लिए क़ब्रों की ज़ियारत (दर्शन) करना जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने ज़ियारत करने वाली महिलाओं पर लानत (धिक्कार) भेजी है, एवं उनका धैर्य कम होता है तथा वे फ़ितने (रोना-पीटना आदि) में पड़ सकती हैं। उनके लिए ज़नाज़े (मृतक की लाश) के साथ चलकर क़ब्रिस्तान जाना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने इस से रोका है। परंतु मस्जिद में अथवा मुसल्ले में जनाज़े की नमाज़ पढ़ना, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए शरीयत के अनुकूल है।

यही कुछ है जिसको संकलित किया जाना संभव हो सका।

और दुरूद व सलाम अवतरित हो हमारे नबी मुह़म्मद एवं आपके समस्त परिवार एवं साथियों पर।

# विषय सूची

[प्रस्तावना 3](#_Toc106474201)

[सामान्य लोगों के लिए महत्वपूर्ण पाठ 4](#_Toc106474202)

[पहला पाठ 4](#_Toc106474203)

[दूसरा पाठ 5](#_Toc106474204)

[तीसरा पाठ 7](#_Toc106474205)

[चौथा पाठ 8](#_Toc106474206)

[पाँचवाँ पाठ 14](#_Toc106474207)

[छठा पाठ 15](#_Toc106474208)

[सातवाँ पाठ 16](#_Toc106474209)

[आठवाँ पाठ 17](#_Toc106474210)

[नौवाँ पाठ 18](#_Toc106474211)

[दसवाँ पाठ 21](#_Toc106474212)

[ग्यारहवाँ पाठ 24](#_Toc106474213)

[बारहवाँ पाठ 25](#_Toc106474214)

[तेरहवाँ पाठ 26](#_Toc106474215)

[चौदहवाँ पाठ 27](#_Toc106474216)

[पंद्रहवाँ पाठ 29](#_Toc106474217)

[सोलहवाँ पाठ 30](#_Toc106474218)

[सत्रहवाँ पाठ 31](#_Toc106474219)

[अठारहवाँ पाठ 32](#_Toc106474220)

[विषय सूची 45](#_Toc106474221)